@shahjahanpurpol

प्रेसनोट सराहनीय कार्य दिनाँक-23.11.22

साइबर क्राइम सेल व थाना काँट की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी,

फिंगर प्रिन्ट की डिजिटल कापी बनाकर आधार कार्ड के जरिये AEPS(AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM) के माध्यम से खातों से रुपये निकालने वाले गिरोह का भाण्डाफोड,

जनसेवा केन्द्र संचालक सहित 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, लैपटाप, मोबाइल, सिम, फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, डाक्यूमेंट स्कैनर, फिंगर प्रिन्ट रीडर, पैनड्राइव, मोहर, आधार कार्ड, अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण एवं कूट रचित दस्तावेज बरामद।

विगत काफी समय से जनपद में आधार कार्ड (**AEPS(AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM)**)के जरिये पैसे निकालने से सम्बन्धित काफी शिकायतें जनपद की साइबर क्राइम सेल को प्राप्त हो रही थी, उक्त अपराध की रोकथाम हेतु श्री एस0 आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से संज्ञान लिया गया तथा इस अपराध को रोकने एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर खुलासा करने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, श्री अखण्ड प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी क्राइम के निकट पर्यवेक्षण में श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस/साइबर सेल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, एवं आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये प्रतिदिन की मानटरिंग स्वयं की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनाँक 23.11.22 को श्री नीरज सिंह प्रभारी साइबर क्राइम मय पुलिस टीम थाना क्षेत्र काँट में मामूर थे कि थाना काँट पुलिस टीम मिली जिससे साइबर अपराध के रोकथाम हेतु बातचीत की जा रही थी कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मदनापुर रोड पर स्थित विनोवा भावे स्कूल के पास अरुण कुशवाहा के जनसेवा केन्द्र पर इस समय कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है जो जनसेवा केन्द्र पर अपने कार्य व आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले व्यक्तियों के खातो से फ्राड कर पैसे निकालते है तथा वर्तमान में जनसेवा केन्द्र पर अपराध करने के लिये एकत्रित हुये है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर साइबर क्राइम पुलिस टीम व थाना काँट की संयुक्त पुलिस द्वारा अरुण कुशवाहा के जनसेवा केन्द्र पर जाकर दविश देकर 1- अरुण कुशवाहा पुत्र ओम प्रकाश 2- अमित यादव पुत्र प्रेम पाल 3- संदीप पाल पुत्र भीमसेन पाल 4- तौशीफ अली पुत्र मकबूल अली 5- ऋतिक तिवारी बीरेश तिवारी को मौके से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से लैपटाप, मोबाइल, सिम, फिंगर प्रिन्ट स्कैनर, डाक्यूमेंट स्कैनर, फिंगर प्रिन्ट रीडर,पैनड्राइव, मोहर, आधार कार्ड, अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण एवं कूट रचित दस्तावेज बरामद किये गये तथा अभि0 अरविन्द पुत्र रामसिंह नि0 विक्रमपुर थाना काँट शाह0 मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है, बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना काँट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 29/07/22 को श्री रामनाथ पुत्र परमेश्वरी नि0 मित्तेपुर थाना काँट शाहजहाँपुर द्वारा थानाँ काँट पर खाते से पैसे निकलने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 406/22 धारा 420 भादवि पंजीकृत करया गया था जिसका अनावरण भी किया जा रहा है, अभियुक्त अरुण कुशवाहा व उनके साथ के लोगो ने मिलकर रामनाथ उपरोक्त के बैंक खाता से दिनांक 12.06.2022 को 10,000रु0 व दिनांक 13.06.2022 को 10,000रु0 कुल 20,000रु0 AEPS(AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM) के माध्यम से उसके अगूँठे का डिजिटल क्लोन बनाकर निकाला गया था, जिसका अभियुक्त गण द्वारा पैसा निकालना स्वीकार किया गया है।।

अपराध करने का तरीका-

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा जन सेवा केन्द्र पर आधार कार्ड से पैसे निकालने हेतु भोले भाले एवं गरीब कम पढे लिखे लोगों के फिंगर प्रिन्ट लगवाकर, फिंगर प्रिन्ट डीजी फिन्गर एप में सेव कर डिजिटल कापी बनाकर उनके खातों से पैसे निकाल लेना।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1- अरुण कुशवाहा पुत्र ओम प्रकाश नि0 ग्राम भुडिया थाना काँट जनपद शाह0।

2- अमित यादव पुत्र प्रेम पाल नि0 ग्राम खमरिया थाना गढियारंगीन जनपद शाह0।

3- संदीप पाल पुत्र भीमसेन पाल नि0 जरीगवाँ थाना गढियारंगीन जनपद शाह0 ।

4- तौशीफ अली पुत्र मकबूल अली नि0 मु0 मरहइया थाना काँट जनपद शाह0।

5- ऋतिक तिवारी बीरेश तिवारी नि0 जशनपुर थाना काँट जनपद शाह0।

फरार अभियुक्त का विवरण:-

1- अरविन्द पुत्र रामसिंह नि0 विक्रमपुर थाना काँट शाह0

बरामदगी का विवरण:-

1- 02 अदद लैपटाप,
2- 07 अदद मोबाइल,
3- 60 अदद एक्टीवेटिडसिम,
4- 01 अदद फिंगर प्रिन्ट स्कैनर,
5- 02 अदद डाक्यूमेंट स्कैनर,
6- 01 अदद फिंगर प्रिन्ट रीडर,
7- 03 अदद पैनड्राइव,
8- 01 अदद मोहर,
9- 110 अदद आधार कार्ड तथा अन्य इलैक्ट्रानिक उपकरण एवं कूट रचित दस्तावेज।

विवरण पुछताछ-

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया गया कि हम सभी लेग विगत कई माह से अरुण के जनसेवा केन्द्र पर आधार संशोधन आदि कार्य कराने वाले व्यक्तियों का धोखे से डिजी फिंगर एप के माध्यम से फिंगर प्रिंट स्कैन करके उसकी डिजिटल कापी अपने लैपटाप से मोबाइल में ट्रासफर करके सेव कर रख लेते थे तथा पैनड्राइव में सेव करके हम सभी लोग अलग -2 स्थान व लोकेशन पर जाकर बाद में उसी फिंगर प्रिन्ट की कापी को फिंगर प्रिन्ट रीडर के माध्यम से स्कैन करके **AEPS(AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM)** से ग्राहकों के खातों से धोखाधडी कर पैसा निकाल लेते थे। पैसा निकालने के लिये हम लोग फर्जी आईडी पर लिये हुये सिम कार्ड से **AEPS(AADHAR ENABLED PAYMENT SYSTEM) ऐजेन्ट** आई डी बना लेते थे तथा उसी फोन नम्बर से एक PAYTM वालेट बनाकर ग्राहक का पैसा इसी वालेट में ट्रांसफर कर लेते है। हम लोग हमारे यहाँ आने वाले ग्राहकों के आधार कार्ड में नाम पता व मोबाइल नम्बर बदलकर फर्जी आईडी पर सिम ले लेते थे तथा हमारे पास आने वाले लोगों के आधार संशोधन के लिये हम लोग जाली मोहरों से फोटोकापी को प्रमाणित करके अपलोड कर देते थे जिससे हम लोग ग्राहकों से मोटा पैसा बसूलते थे। **अभियुक्त संदीप ने बताया कि वो तिलहर मण्डी में धान क्रय सेन्टर चलाता है तथा फर्जी आईडी पर लिये गये सिमकार्ड की मदद से उसके पास आने वाले किसानों का डेटा बेबसाइट में फीड करके फर्जी आईडी से प्राप्त नम्बरों पर ओटीपी प्राप्त कर लेता है तथा धान की खरीद फरोख्त में धांधली कर लेता है।**

गिरफ्तारी का दिनाँक एवं स्थान:-

दि0 23.11.22 को थाना क्षेत्र काँट के मदनापुर रोड पर स्थित विनोवा भावे स्कूल के पास अरुण कुशवाहा का जनसेवा केन्द्र।

अनावरित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 406/22 धारा 420 भादवि थाना काँट शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 677/22 धारा 420/468/471भादवि थाना काँट शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1- श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस/साइबर सेल शाह0
2- उ0नि0 श्री राजकुमार सिंह थाना काँट शाह0
3- कां0 राजुल कुमार साइबर सेल शाह0
4- कां0 शिवम कुमार साइबर सेल शाह0
5- कां0 विक्रान्त साइबर सेल शाह0
6- कां0 अजय चौधरी सर्विलांस सेल शाह0
7-कां0 1857 सौरव कुमार थाना कांट शाह0
8-कां0 1728 राजू थाना कांट शाह0